न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

दाउदनगर थाना कांड संख्या–309/2021

जी0आर0संख्या–513/2021

16–06–21 काराधीन आवेदक अभियुक्त मुकेश कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वकालतनामा एवं जमानत आवेदन दाखिल करते हैं।

काराधीन आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। आवेदक अभियुक्त उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया आरोप झूठा एवं बेबुनियाद है। काराधीन आवेदक अभियुक्त दिनांक 14–06–2021 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक अभियुक्त किसी भी राशि के बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के खिलाफ भा0द0वि0 की धारा 379,411 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि पु0स0अ0नि0 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केरा नहर सड़क की ओर से एक ट्रैक्टर अवैध ओवर लोडेड चोरी का बालू लेकर सामने से आ रहा है। अचानक पुलिस गश्ती दल को देख ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर छोड़ भागने लगा । सशस्त्र बल के सहयोग से भाग रहे ट्रैक्टर चालक को खदेड़कर पकड़ लिया गया । पकड़ाये ट्रैक्टर चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मुकेश कुमार बताया। विधिवत तलाशी लेने पर स्वराज 735 XT ब्लू रंग का उजला पट्‌टी जिसका रजि0नं0 अंकित नहीं तथा इंजन नम्बर 39.1355 /SZF05418 एवं चेचिस नम्बरWZTF28428131741 अंकित के साथ बिना रजि0 नम्बर का टॉली पर ओवर लोड अवैध चोरी का बालू (सरकारी सम्पदा) लदा पाया गया । प्राथमिकी के अनुसार सोन नदी के बालू का अवैध चोरी किया गया है। अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद है। वाद का अनुसंधान जारी है। यह एक गंभीर किस्म का अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

प्र0अनु0न्या0दण्डा0